न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—215/2018/225 (2018/00215)

1. जमना पत्नि जफरू,
2. मेहफूल पत्नि बाबू,
   समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम गुवाडिया, ग्राम पंचायत देवपुरा खरवा तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. भंवरू पुत्र नूरा,
2. मुंशी पुत्र नूरा,
3. खाजू पुत्र नूरा,
4. हुसैन पुत्र नूरा,
5. अमीन पुत्र नूरा,
   समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम गुवाडिया, ग्राम पंचायत देवपुरा खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 2.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 23/2015.

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 6

निर्णय

दिनांकः— 19.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय दिनांक 2.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांटस के पेश कर कथन किया कि मौजा गुवाडिया, पटवार हल्का खरवा प्रथम, तहसील मसूदा जिला अजमेर में खसरा संख्या 5689 रकबा 5—17—00 भूमि स्थित है, उक्त भूमि के प्रार्थीगण पूर्णतया काबिज काश्त चला आ रहा है, यह सारी भूमि समान्तर ही है, और एक ही स्थान पर समरूप विद्यमान है, तथा सभी खसरा नंबरान पर आवागमन हेतु रास्ता खसरा नंबर 5687 पर होकर जाया जाता है । उक्त खसरा नंबरों से होकर प्रार्थीगण ने अपना आवागमन पूर्वजों के समय से सदियो से बनाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

हुआ है । खसरा नंबर 5687 की भूमि में से होकर प्रार्थीगण विधिनुसार रास्ता प्राप्त करने के सहमत तत्पर तैयार है । प्रार्थीगण के पास इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि से आवागमन का मार्ग उपलब्ध नही है, प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कुछ भाग में रास्ता उद्घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा प्रार्थीगण राजकीय दरों से भुगतान करने हेतु सहमत है । इस प्रकार प्रार्थीगण का सुखाधिकार मानवाधिकार के अनुरूप दावाकृत भूमि पर कब्जा हुआ व कब्जा निर्विवाद होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुती बाबत् कारण निरन्तर उत्पन्न व प्रोदभूत है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को मार्गाधिकार उपलब्ध करवाया जावे जो खसरा नंबर 5687 पर से होकर जा रहा है तथा खसरा नंबर में रास्ते की तरमीम दर्ज की जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ते की अमल दरामद कराई जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 2.5.2018 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 का आदेश अस्पष्ट एवं कारणरहित है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र धारा 251–ए को निस्तारित करने में उक्त प्रावधान में दर्शाये गये तत्व को नजरअदांज कर एवं बिना किसी प्रकार की जांच किये क्षेत्राधिकार से परे जाकर मनमाना आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के प्रार्थना पत्र में धारा 251–ए के तत्व मौजूद नही थे उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वह नया रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नहीं थे जबकि उनकी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर में आने जाने हेतु पूर्व मे ही अन्य वैकल्पिक रास्ता होते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था । रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने उक्त तथ्य को अधी0न्याया0 के समक्ष छिपाते हुए एकतरफा में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश प्राप्त किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने विवादित रास्ते बाबत् जो रिपोर्ट तहसीलदार मसूदा से तलब की थी उक्त रिपोर्ट भी स्वंय तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई, ना ही उक्त रिपोर्ट अपीलांटस की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा ना ही अपीलांटस को उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय मौके पर तलब किया है । ऐसी एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अधी0न्याया0 को निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं था । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत केवल तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक रैंक का अधिकारी ही मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु सक्षम है । हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण बहस हेतु परिपक्व नहीं था किन्तु एकाएक दिनांक 2.5.2018 को प्रकरण न्याय आपके द्वार कैम्प देवपुरा में नियत किया गया जिसकी सूचना अपीलांट व उनके अभिभाषक को नहीं दी गई तथा उभयपक्षों को बिना सुने रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित कर दिया जबकि अपीलांटस के द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी थी इसके बावजूद पीठासीन अधिकारी ने उभयपक्षों को सुनने का अंकन करते हुए प्रकरण को निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । लोक अदालत में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पक्षकारों की सहमति के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की सहमति नहीं थी ना ही कोई राजीनामा पेश हुआ था । अधी0न्याया0 ने अभिकथनों के बाहर जाकर आराजी खसरा संख्या 5667 में से रास्ता कायम कर अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 2.5.2018 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय देवुपरा में नियत किया एवं बिना प्रार्थीगण व उसके अधिवक्ता को सूचित किये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रार्थना पत्र का निस्तारण प्रार्थीगण के विरूद्ध किया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण व उसके अधिवक्ता को नहीं हुई । अधी0न्याया0 के आदेश का हवाला देते हुए अप्रार्थीगण ने मौके पर रास्ता जबरन निकालने की कोशिश की तब प्रार्थीगण को आदेश की जानकारी हुई । जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 2.5.2018 के निर्णय की प्रति हेतु आवेदन पत्र पेश किया । प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पोडेंटस खसरा नंबर 5689 रकबा 5–17–00 पर बतौर मालिक स्वामी काबिज चले आ रहे है । सारी भूमि समानान्तर होकर एक ही स्थान पर विद्यमान है । उक्त खसरा व इसके लगते हुए प्रार्थीगण की अन्य खसरा नंबरान की भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की है उक्त सभी खसरा नंबरान पर आवागमन हेतु रास्ता खसरा नंबर 5687 पर होकर जाया जाता है । रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु खसरा नंबर 5687 के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है । उक्त आराजी प्रार्थीगण की आराजियात के समवर्ती है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 उक्त आराजी खसरा नंबर 5687 में से आवागमन करते रहे है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है जिसके अनुसार आराजी खसरा नंबर 5689 में आने जाने हेतु पूर्व में रास्ता इन्हीं खसरा नंबर में से था जो वर्तमान में बंद कर दिया है अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । उक्त रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु खसरा नंबर 5687 के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 द्वारा खातेदारी आराजी खसरा नंबर 5689 रकबा 5–17–00 बीघा में आवागमन हेतु खसरा नंबर 5687 में से रास्ते बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 2.5.2018 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0

संख्या 1 से 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 की आराजी खसरा नंबर 5689 रकबा 5–17–00 में आने जाने जहेतु खसरा नबर 5687 में से 7725 वर्गफुट व खसरा नंबर 5667 में से 1125 वर्गफुट भूमि कुल 8850 वर्गगज भूमि रास्ते के रूप में अंकित किये जाने के आदेश पारित किये है । अधी0न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार, मसूदा से मौका रिपोर्ट तलब की । पटवारी हल्का, खरवा–प्रथम ने मौका रिपोर्ट दिनांक 24.4.2018 को तहसीलदार, मसूदा को प्रेषित की जिसमें अंकित किया है कि " प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 5689 से मुख्य सड़क पर पहुंचने हेतु खसरा नंबर 5690, 5687 व 5667 खसरा आते है जिसमें खसर नंबर 5690 स्वंय का है। खसरा नंबर 5687 में से 7725 वर्ग फुट व 5667 में से 1125 वर्ग फुट भूमि रास्ते के रूप में कुल 8850 वर्गफुट यानि 00–10–03 भूमि काम में आवेगी । खसरा नंबर 5689 में आने हेतु पूर्व में रास्ता इन्हीं खसरा नंबर में से था जो वर्तमान में बंद कर दिया है । " उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार न की जाकर पटवारी हल्का, खरवा–प्रथम से तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाई गई । अधी0न्याया0 उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के के नियम 69 के अनुसार केवल तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर का अधिकारी ही रास्ते बाबत् मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु सक्षम है । हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 24.4.2018 तैयार की गई है जो नियम 69 के विपरीत है । नियम 69 में यह प्रावधान दिये गये है कि " प्रपत्र–1 में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, उपखण्ड अधिकारी या तो स्वंय स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू–अभिलेख के पद से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवायेगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा । " धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार/भू–अभिलेख निरीक्षक स्वंय को पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार कर भिजवानी चाहिये थी । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.5.2018 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.5.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्वंय द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 19.8.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर